

2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज गोविन्दकरण राठौड़ बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार लूणी) सू.अ.अ. अपील संख्या 187/2017	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.01.18	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गोविन्दकरण राठौड़ पुत्र धनकरण राठौड़, पता 79, हनुवंत बी, सेक्टर बी, बी.जे.एस. कॉलानी, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 28.07.17. में उसके द्वारा (1) संलग्न आदेश क्रमांक 3445 दिनांक 29.04.04 जिला कलक्टर जोधपुर आपको कब प्राप्त हुआ व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना जरिये पत्रांक 2384 दिनांक 22.08.17 द्वारा दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार लूणी) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। चूंकि तहसीलदार लूणी द्वारा प्रार्थी को जरिये पत्रांक 2384 दिनांक 22.08.17 के द्वारा सूचना प्रेषित कर दी गई थी परन्तु उक्त सूचना से प्रार्थी संतुष्ट नहीं होने पर उन्हें नियत अवधि में अपील प्रस्तुत करनी चाहिए। अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई तथा विलम्ब का कोई कारण भी नहीं बतलाया गया। अतः अपील विलम्ब से प्रस्तुत होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। ओदश सुनाया गया।</p>	